न्यायालय अति. जिला कलक्टर - नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी का नाम — अनिल कुमार (R.A.S)

प्रार्थना पत्र सं. 36/24

उनवान

1. धीसादास पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी अविनाशी तहसील श्रीमाधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. उप तहसीलदार अजीतगढ़ जिला - नीमकाथाना

अप्रार्थी

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 25-7-2023 सरकार बनाम धीसादास मन्तर्गत धारा 91 L.R. ACT

उपस्थित :- श्री होशियार सिंह बड़सरा एड. अपीलार्थी प्रार्थी

निर्णय दिनांक 24/7/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि ख० नं० 314/132 ग्राम अविनाशी में कदीम से आवासीय रही है। अपीलान्ट के पिता ने आवासीय मकानात का निर्माण अपने स्वयं के खर्चे पर कराया है। [illegible] राजकोष में समय पर जमा करवाई है। [illegible] मकानात मे विद्युत सम्बध भी का[illegible] कर लिया था। विद्युत सम्बध बाबत ग्राम पंचायत द्वारा [illegible]पति प्रमाण पत्र भी जारी किया था। विवादित भूमि पर अधिकाश भाग पर आबादी के उपयोग मे आ रही है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट ★ नीमकाथाना (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:58:02 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट को शौचालय आदि का निर्माण हेतु निर्माण राशी ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत की गई थी। आवंटन भूखण्ड अभिलेख की कार्यवाही आवंटन अधिकारी पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा कि गई थी। अपीलान्ट के आवासीय मकानात मे आवागमन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सडक भी ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया। अपीलान्ट ग्रामीण पृष्ठ भूमि का स्थायी निवासी है। एवं गरीब व्यक्ति है। आवासीय मकानात व बाडा आदि को क्षतिग्रस्त कर अपीलान्ट को बेदखल कर दिये जाने की सूरत में काफी अपूर्णीय क्षति होगी। रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित निर्णय बिना किसी साक्ष्य सबूत के व कानूनी प्रावधानो के विपरीत बिना किसी आधार के अपीलान्ट को विवादित स्थल पर अतिक्रमी मानते हुए रेस्पो०/अप्रार्थी द्वारा जो - निर्णय पारित किया गया है वह कानूनन अपास्त होने योग्य है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-7-23 सरकार बनाम धीसादास मु० नं० 1/2023 कि क्रियान्विति अपील के निस्तारण तक स्थगित फरमायी जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिए नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी कि बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया कि भूमि ख० नं० [illegible] विनाशी मे करीब से आवासीय उपयोग [illegible] है। प्रार्थी ने मकानात का निर्माण स्वयं [illegible] करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी [illegible] निर्माण राशि स्वीकृत कि गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा सडक का निर्माण भी करवाया है। जहाँ आवागमन चालू है। अप्रार्थी द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। --- 3 -

(अनिल कुमार)
अति० जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:58:02 IST
Reason: SelfAttested

जिसकी प्रार्थी को भी जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मु० नं० 1/23 उनवानी सरकार बनाम धीसादास निर्णय दिनांक 25-7-23 की क्रियान्विति अपील के निर्णय तक स्थगित फरमायी जावे।

वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम भविकाथी के भूमि ख० नं० 314/132 पर मकानात व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण पाया गया है। प्रार्थी ने प्रथम दृष्ट्या केश, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अपने पक्ष मे बताया है प्रार्थना पत्र व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट है। जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। जबकि एक दण्डनीय अपराध है।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते है अथवा नही। प्रत्येक बिन्दु पर विवेचन निम्न प्रकार है।

1. प्रथम दृष्ट्या मामला।- पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार नही है। विवादित भूमि सरकार कि है जिस पर प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। प्रथम दृष्ट्या मामला देखने के लिए कब्जा होना आवश्यक है परन्तु प्रार्थी द्वारा जो कब्जा कर रखा है वह राजकीय भूमि है। रिकार्ड खातेदार व राजकीय भूमि के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली मे [illegible] रिकार्ड के अवलोकन से व राजकीय [illegible] जाने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के [illegible] बनना नही पाया जाता है।

2. सुविधा का सन्तुलन।- जहां तक इस बिन्दु का प्रश्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:58:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने कि दशा में ज्यादा असुविधा अप्रार्थी को होगी क्योंकि विवादित भूमि कि खातेदारी प्रार्थी कि ना होकर राजकीय भूमि है। इसलिए इस स्टेज पर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने कि दशा मे प्रार्थी को कोई विधिक हानी ना होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने कि सम्भावना नही है। क्योंकि भूमि राजकीय है। जो प्रार्थी स्वंय स्वीकार कर करते है। एवं उपलब्ध रिकार्ड से भी स्पष्ट है।

इस प्रकार प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन खारीज किया जाता है नि.उ.

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट ★ नीमकाथाना (राजस्थान) ★

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:58:02 IST
Reason: SelfAttested